दिल्ली न्यूज़ 7
सबके साथ सबकी बात
मुख्य प्रेरक

अशोक अग्रवाल
चेयरमैन : एचपीएम केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.

विजय बंसल
सीएमडी: केंटाबिल रिटेल इंडिया लि.

नरेश गोयल
चेयरमैन : मैडेन फार्मास्यूटिकल्स लि.

महिलाएं होंगी स्वस्थ तो देश होगा सशक्त

संस्कृति विश्वविद्यालय में वक्ताओं ने कहा

मथुरा (संवाददाता)।

संस्कृति विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के तहत संस्कृति स्कूल आफ योग एंड नेचरोपैथी द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय था, 'स्वस्थ महिला, सशक्त देश'। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज देश की उन्नति में महिलाओं की बराबर से भागीदारी है। महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो सशक्त होंगी और महिलाएं सशक्त होंगी तो देश भी मजबूती से आगे बढ़ेगा।

संस्कृति विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य वक्ता महेश्वरी हास्पिटल मथुरा की निदेशक डॉ. अनुराधा महेश्वरी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए।

बताते चलें कि मिशन शक्ति अभियान एक विशेष योजना है जो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह अभियान महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में समान भागीदार बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर केंद्रित है। सरकार की इसी योजना के तहत संस्कृति विश्वविद्यालय में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। संस्कृति विश्वविद्यालय के सभागार में 'स्वस्थ महिला, सशक्त देश' विषय पर आयोजित कार्यक्रम की मुख्य वक्ता महेश्वरी हास्पिटल मथुरा की निदेशक डा. अनुराधा महेश्वरी ने कहा कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास की ओर हमें ध्यान देना होगा। विशेष रूप से महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

डॉ. महेश्वरी ने छात्र-छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि आप किसी भी समस्या से विचलित न हों। हो सकता है कि जो समस्या आपको बड़ी लग रही हो और जिसके कारण आप दबाव या निराशा महसूस कर रहे हैं वह उतनी बड़ी न हो। आपको इसका एहसास तब हो जाएगा जब आप अपनी समस्या को अपने परिवारीजन, काउंसलर या फिर अपने शिक्षकों से शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कि हर विश्वविद्यालय में पूरा एक सिस्टम होना चाहिए जो समय समय पर विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर उनकी समस्याओं का निराकरण करे। उन्होंने कहा कि युवतियों की स्वावलंबी बनने की शुरुआत घर से होती है। समाज में परिवर्तन आ रहा है लड़कियों पर भी अब उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना लड़कों पर। देश के विकास के लिए महिलाओं का स्वस्थ और स्वावलंबी होना जरूरी है।

इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए सवालों का भी संतुष्टिपूर्ण जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। कार्यक्रम के दौरान संस्कृति स्कूल आफ योग एंड नेचरोपैथी की विभागाध्यक्ष डॉ. तनुश्री ने छात्राओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। कार्यक्रम में मौजूद छात्र कल्याण विभाग के डीन डॉ. डीएस तोमर ने कार्यक्रम की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को स्वस्थ और अनुशासित रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की संयोजिका डा. रीना रानी ने अतिथि वक्ता डॉ. अनुराधा महेश्वरी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन छात्रा काजल जायसवाल ने किया।

GST Audit में होने वाली Common Mistakes (गलतियाँ)

टैक्स पर चर्चा
मोहित गुप्ता (CA)
15, पश्चिम विहार एक्स
नई दिल्ली-110063
9811432432
mohitgupta1112@yahoo.co.in
Contact@camohitgupta.com

1. गलत या अधूरी Documentation

बहुत बार GST Audit के समय गलत या अधूरे documents जमा कर दिए जाते हैं। GST authorities invoice, tax payment और credit claims को ध्यान से चेक करती हैं। छोटी सी mistake भी penalty तक पहुँचा सकती है।

Solution: सारे business transactions का सही और पूरा Record रखो। जैसे purchase invoice, sales invoice, tax payment receipts और ITC claims, Document में GST No., amount और description जरूर होना चाहिए। सब कुछ GST return में match होना चाहिए।

2. GST Returns को Reconcile न करना

GSTR-1, GSTR-2A, GSTR-3B जैसे returns को आपस में match करना बहुत जरूरी है। कई businesses यह मिलान नहीं करते, जिससे mismatch हो जाता है और audit issue बन जाता है।

Solution: हमेशा अपने GST Returns को books of accounts से मिलाओ। GSTR-1 (Outwward Supply) और GSTR-2A (Inward supplies) के data को check करो। GSTR-3B के साथ भी सब मैच होना चाहिए।

3. इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) वेरिफिकेशन

आईटीसी (ITC) केवल तभी क्लेम करें जब सप्लायर ने इनवॉइस GSTR-1 में अपलोड किया हो, सामान या सर्विस वास्तव में प्राप्त हुई हो अथवा180 दिनों के अंदर पेमेंट कर दिया गया हो।

प्रोपोर्शनल ITC: अगर किसी खर्च का कुछ हिस्सा एक्सेम्प्ट या नॉन-बिजनेस यूज में गया है, तो उतना ITC रिवर्स (वापस) करें।

पर्सनल यूज के लिए ITC डिसअलाउड: जैसे कार, मकान किराया, मोबाइल बिल आदि अगर पर्सनल काम में भी इस्तेमाल हुए हैं, तो उस हिस्से का ITC क्लेम नहीं किया जा सकता, उसे रिवर्स करना होगा।

ब्लॉक्ड ITC (Section 17 (5)

इन खर्चों पर ITC नहीं लिया जा सकता—मोटर वाहन (जब तक वो ट्रांसपोर्ट या ट्रेनिंग के बिजनेस में न हों), क्लब मेंबरशिप, खाना, पेय पदार्थ, कर्मचारी वेलफेयर खर्चे, इमारत या ऑफिस बनाने के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट खर्चे और जो सामान चोरी, नष्ट, गिफ्ट या सैंपल के रूप में दिया गया हो।

4. डेबिट और क्रेडिट नोट्स (Debit & Credit Notes)

- सभी क्रेडिट/डेबिटनोट्स उसी वित्तीय वर्ष में या अगले साल के सितंबर रिटर्न फाइल करने से पहले रिपोर्ट करें।
- GSTR-1 और GSTR-3B में टैक्स को उसी अनुसार एडजस्ट करें।
- बुक्स और कस्टमर के GSTR-2B से क्रेडिट/डेबिट नोट्स का मिलान करें।

5. बिजनेस सेजुड़ी अन्य इनकम (Any Receipt Incidental to Business)

- जीएसटी कानून के अनुसार, सिर्फ मुख्य बिजनेस इनकम ही नहीं, बल्कि ऐसी कोई भी इनकम जो बिजनेस के दौरान या उससे जुड़ी हुई मिले, उसे भी टैक्सेबल सप्लाई माना जा सकता है।
- यानी अगर कोई इनकम Section 7 (Supply की परिभाषा) में आती है तो उस पर भी जीएसटी लागू हो सकता है।

उदाहरण: स्क्रैप या वेस्ट सेल से इनकम, कमीशन या इंसेंटिव, ऑफिस का कुछ हिस्सा किराये पर देना और ग्राहकों से लेट पेमेंट पर ली गई पेनल्टी या ब्याज

6. वर्ष के दौरान हुए बदलाव और उनकी प्रभावी तारीख (Changes During the Year–Effective Date)

वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी दरों, HSN कोड, छूट या कम्प्लायंस नियमों में कई बार बदलाव किए जाते हैं।

ऑडिट करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर बदलाव को सही Effective Date (लागू होने की तारीख) से लागू किया गया हो।

बदलाव का प्रकार	क्या चेक करें
जीएसटी रेट बदला (12% -18%)	क्या नई दर सही तारीख से लागू की गई?
नए HSN कोड लागू हुए	क्या इनवॉइस में सही कोड डाले गए?
किसी सर्विस पर RCM लागू हुआ	क्या RCM उसी तारीख से भरा गया?
किसी आइटम को Exempt से Taxable किया गया	क्या उस तारीख से टैक्स वसूलना शुरू किया गया?

7. रिफंड और एडजस्टमेंट

रिफंड एप्लिकेशन दाखिल करें: अगर किसी टैक्स का रिफंड बनता है, तो उसकी एप्लिकेशन समय पर भरें।

ऑडिट पीरियड तय करें: किस समय अवधि का ऑडिट करना है, उसे साफ तौर पर निर्धारित करें।

टीम से एक जिम्मेदार व्यक्ति तय करें (Nodal Officer): ऑडिट या री-कन्सिलेशन से जुड़ी सभी बातों के लिए एक मुख्य व्यक्ति नियुक्त करें।

गैंट चार्ट तैयार करें: काम को समय पर पूरा करने के लिए एक प्लान बनाएं, जिसमें रीकन्सिलेशन, डॉक्यूमेंटेशन और सबमिशन की तारीखें तय हों।

8. इनवर्ड सप्लाई और ITC की जानकारी

पर्चेज रजिस्टर: साल भर की गई सभी खरीद का पूरा रिकॉर्ड रखें।

सप्लायर के बिल (Invoices): सभी सप्लायर से मिले बिलों की कॉपियां सुरक्षित रखें।

खर्चों की लेजर (Expense Ledger): बिजनेस से जुड़े सभी खर्चों का विवरण तैयार रखें।

रिवर्स चार्ज का रिकॉर्ड : जहां रिवर्स चार्ज लागू हुआ है, वहां का टैक्स भुगतान रिकॉर्ड रखें।

ITC लेजर और मिलान (Reconciliation with GSTR-2A/2B): बुक्स में दिखाई गई ITC राशि को GSTR-2A और 2B से मिलाएं, ताकि कोई अंतर न रहे।

9. स्टॉक और इन्वेंटरी

ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक: साल की शुरुआत और अंत का स्टॉक का विवरण रखें।

स्टॉक रजिस्टर: हर महीने का स्टॉक मूवमेंट (आवक-जावक) रिकॉर्ड तैयार रखें।

सामान की मूवमेंट रिपोर्ट: माल कहां से आया और कहां भेजा गया, इसका रिकॉर्ड रखें।

जॉब वर्क चालान और उस पर ITC: जो सामान जॉबवर्क के लिए भेजा या वापस आया है, उसके चालान व ITC का रिकॉर्ड रखें।

10. ई-वे बिल और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी डाक्यूमेंटेशन

ई-वेबिल: कुछ ई-वे बिल की कॉपियां ऑडिट के लिए रखें।

ट्रांसपोर्टर के बिल या लॉगबुक: ट्रांसपोर्ट से संबंधित इनवॉइस या गाड़ियों की मूवमेंट का रिकॉर्ड रखें।

डिलीवरी चालान : हर डिलीवरी का चालान सुरक्षित रखें।

11. आंतरिक GST मिलान (Internal GST Reconciliation)

निम्नलिखित का आपस में मिलान करें

GSTR-3B बनाम GSTR-1: यह देखें कि बाहर की सप्लाई (Outward Supply) दोनों रिटर्न में समानहै या नहीं।

GSTR-3B बनाम GSTR-2A/2B: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का मिलान करें कि जितना क्लेम किया गया है, उतना ही पोर्टल पर दिख रहा है या नहीं।

बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाम GSTR-9 और GSTR-9C: आपकी अकाउंट बुक्स में जो डेटा है, वह वार्षिक रिटर्न से मेल खाता है या नहीं, यह जांचें।

ई-वे बिल डेटा (अगर लागू हो): ट्रांसपोर्ट और ई-वे बिल की जानकारी भी टैक्स रिटर्न से मैच करें।

12. Reverse Charge Mechanism (RCM) का पालन न करना

RCM में supplier नहीं, goods या services लेने वाला tax देता है।

कई businesses RCM rules follow नहीं करते जिससे audit problem होती है।

Solution: RCM वाली सभी transactions को सही से रिकॉर्ड करो। Tax timely pay करके उसका proof और record रखो।

13. Amendments को रिकॉर्ड में अपडेट न करना

GST law में return को amend करने के Rules हैं। अगर changes को record में update नहीं किया जाए तो mismatch हो जाता है।

Solution: अगर GST return में कोई correction या amendment करते हो तो उसे रिकॉर्ड में भी अपडेट करो और proof संभाल कर रखो।

14. Tax Payment और Liability को इग्नोर करना

कई बार tax calculation गलत हो जाता है या payment miss हो जाती है। Audit में ये बहुत बड़ा पेनम बनता है।

Solution: Regularly tax payments को verify करो। GST return में जो टैक्स दिखाया है वही पेमेंट हुई है, यह चैक करो।

15. Internal Control कमजोर होना

अगर GST compliance के लिए internal system strong नहीं है तो गलत calculation, गलत documentation और missing credits जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

GST Audit Mistakes से बचने के टिप्स

1. Regular Internal Audit करो : ऑडिट आने से पहले ही अपनी गलती खुद पकड़ लोगे। Accuracy बढ़ती है और penalty का risk कम होता है।
2. Training और Awareness बढ़ाओ : Finance और accounts team को GST rules और documentation की proper training दो।
3. Professionals से मदद लो: अगर GST process complen लगे तो GST consultant या ब की मदद जरूर लो।
4. GST Laws की Updates पर ध्यान दो : GST rules में changes आते रहते हैं। Updated रहना business के लिए जरूरी है।

महंगे बिजली-पानी व टूटी सड़कों से कैसे चलेगा दिल्ली का उद्योग : डॉ. कपिल चोपड़ा

नई दिल्ली (संवाददाता)।

राजधानी दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों का पलायन तीव्र गति से देखा जा रहा है। इसके पीछे औद्योगिक इकाइयों के प्रति सरकारों की उपेक्षा बड़ा कारण माना जा रहा है। दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों पर महंगी बिजली और महंगे पानी की मार पड़ रही है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में टूटी सड़कें एवं सीवरेज भी एक प्रमुख समस्या है। 'दिल्ली न्यूज़ 7' समाचार पत्र ने जब अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. कपिल चोपड़ा से बात की तो उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में यहां पर व्यापारियों को भारी बिजली बिल भुगतान करना पड़ता है जबकि पानी के लिए भुगतान एवं अन्य टैक्स दरें भी व्यापारियों को भारी संख्या में चुकानी पड़ रही है।

डॉ. कपिल चोपड़ा

औद्योगिक इकाइयां कार्यक्षमता बढ़ाने की बजाय सरकारी मशीनरी एवं उनके खजाने को भरने में ही परेशान हैं। दिल्ली में वर्तमान समय में ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है, फिर भी औद्योगिक इकाइयों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है।

डॉ. कपिल चोपड़ा ने कहा कि केन्द्र, राज्य एवं निगम की सरकारें व्यापारियों के हितों की बात अपने मंचों से बराबर करती हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों को भी बिजली, पानी तथा सीवर की सुविधा देनी चाहिए। आज व्यापार में प्रतिस्पर्धा होने के कारण दिल्ली की औद्योगिक इकाइयां बाहर की इंडस्ट्री से मुकाबला तभी कर पाएंगी जब उन्हें भी अन्य राज्यों की तरह बिजली-पानी के लिए सस्ती दरों पर भुगतान करना होगा, अन्यथा यहां का उद्योग इसी प्रकार बाहर स्थापित होने के लिए मजबूर हो जाएगा।

जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन की 29वीं बैठक सम्पन्न

वजीरपुर के तीन एमसीडी स्कूलों को तीन वर्ष के लिए गोद लेने का निर्णय

नई दिल्ली (संवाददाता)।

जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन की 29वीं बैठक आज उत्साहपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। बैठक में फाउंडेशन की भविष्य की कार्य योजनाओं, सामाजिक दायित्वों के विस्तार तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में फाउंडेशन की कार्यकारिणी अधिकारी सत्या शर्मा, तरुण गर्ग, रोहित, योगेश वर्मा (निगम पार्षद, वजीरपुर), राजीव गोयल, गुलशन भाटिया, बहादुर सिंह, सुनील कुमार, मंजू देवी तथा संदीप उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान यह विशेष रूप से विचार किया गया कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताएँ, संसाधनों का अभाव, स्वास्थ्य संबंधित बाधाएँ और पर्यावरण की उपेक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उन क्षेत्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं और अनुकूल वातावरण से जोड़ने की दिशा में फाउंडेशन को अपनी भूमिका और अधिक मजबूत करनी होगी।

इसी क्रम में फाउंडेशन ने वजीरपुर क्षेत्र में स्थित तीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूलों को आगामी 3 वर्षों के लिए गोद लेने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। फाउंडेशन ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि इन विद्यालयों में आधारभूत सुधार, बच्चों की शिक्षा में सुधारात्मक प्रयास, कौशल विकास गतिविधियाँ, खेल प्रोत्साहन, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण आधारित पहलें निरंतर जारी रहेंगी। फाउंडेशन का उद्देश्य इन स्कूलों में बच्चों को ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जिनसे वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें और अपनी क्षमता को बेहतर ढंग से आकार दे सकें।

बैठक का समापन इस दृढ़ निश्चय के साथ हुआ कि योग्य, प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से सीमित पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और समाज में बच्चों के हित में सकारात्मक परिवर्तन निरंतर गति प्राप्त करता रहे।

विज्ञापन दरों में वृद्धि

सभी माननीय विज्ञापन दाताओं से हाथ जोड़कर विनती है कि 1 जनवरी 2026 से विज्ञापन की दरों में बदलाव होने जा रहा है। अधिकतम वृद्धि मौजूदा टैरिफ से 20 प्रतिशत अधिक रहेगी।

इन्फलेशन रेट का बढ़ना, न्यूज पेपर कागज की कीमतों में वृद्धि तथा प्रिंटिंग दरों का बढ़ना इस वृद्धि के मुख्य कारक हैं। यह दरें लगभग 2 साल पहले ही बढ़नी चाहिए थीं जो अभी तक विज्ञापन दाताओं को राहत देते हुए नहीं बढ़ाई गयी थीं। अंत में दिल्ली न्यूज़ 7 ने मजबूर होकर यह कदम बढ़ाया है, जब प्रिंटिंग और कागज की दरों में और वृद्धि हो गयी।

आशा है आप हमारी इस मजबूरी को समझते हुए अपना प्यार व सहयोग एवं आशीर्वाद पहले की भांति बनाये रखेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं दिल्ली न्यूज 7 सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगा और पहले की भांति आपके लिए न्यूज पेपर, वैश्य रतन मैग्जीन, दिल्ली श्री अवार्ड, अभिनंदन समारोह एवं कॉरपोरेट चैम्बर की मीटिंग निर्बाध रूप से आपके सहयोग से चलती रहेगी। आपकी सेवा में तत्पर न्यूज 7 मीडिया ग्रुप।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।।

स्व. श्री केशव दत्त गुप्ता
(सुपुत्र स्व. श्री श्याम लाल अग्रवाल जी)
15 अगस्त 1945 - 02 नवम्बर 2025

रस्म पगड़ी एवं श्रद्धांजलि सभा
मंगलवार, 11 नवम्बर 2025
सायंकाल 3 से 4 बजे तक
बावा नत्था सिंह वाटिका, वेस्ट पंजाबी बाग

शोकाकुल परिवार

धर्मपत्नी
रश्मि गुप्ता

पुत्री-दामाद
रेणुका-राजेश गोयल
मोनिका-मनोज जैन
रुपाली-अजय गोयल

पुत्र-पुत्रवधू
नीरज-पल्लवी गुप्ता

पौत्री
मैथिली गुप्ता
तारिणी गुप्ता

पौत्र
श्रेयांश गुप्ता

भाई-भाभी
कैलाशचंद-सुनीता गुप्ता
स्व. कमल कुमार-सुषमा गुप्ता
नवीन कुमार-सरिता गुप्ता
सुशील कुमार-किरण गुप्ता

एवं समस्त अग्रवाल परिवार

- प्रतिष्ठान -
रुपाली निट्स • रुपाली ट्रेडर्स • रुपाली आउटफिट • श्री श्याम गारमेंट्स
संम्पर्क : 9811329189